रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003–05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, फरवरी 2—फरवरी 8, 2014, शनिवार/माघ 13—माघ 19, 1935
No. 6] NEW DELHI, FEBRUARY 2—FEBRUARY 8, 2014, SATURDAY/MAGHA 13—MAGHA 19, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 18.—केन्द्रीय सरकार भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (2014 का प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 419क, के बदले, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होंगे ।

"**419क** (1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अपरोधन के निदेश तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक भारत सरकार की दशा में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा और राज्य सरकार की दशा में राज्य सरकार के गृह विभाग के भार-साधक सचिव द्वारा आदेश जारी नहीं कर दिया जाता तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा आदेश भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो यथास्थिति संघ के गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो ।

परन्तु आपात मामलों में—

(i) दूरस्थ क्षेत्रों में जहां संदेश या संदेशों के वर्ग के अपरोधन के लिए पूर्व निदेश अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है; या

(ii) प्रचालनात्मक कारणों के लिए जहां संदेश या संदेशों के वर्ग का अपरोधन करने के लिए पूर्व निदेश अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है;

वह किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अपेक्षित अपरोधन को प्राधिकृत सुरक्षा के प्रधान या द्वितीय ज्येष्ठतम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा अर्थात् केन्द्रीय स्तर पर विधि प्रवर्तन अभिकरण और इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, पुलिस महानिदेशक के स्तर से अन्यून स्तर का अधिकारी, किन्तु अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा संबद्ध सक्षम प्राधिकारी को तीन कार्य दिवस के भीतर राज्य स्तर पर ऐसे अपरोधनों के संबंध में सूचित किया जाएगा और ऐसे अपरोधनों की सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर संबद्ध प्राधिकारी से पुष्टि कराई जाएगी । यदि सक्षम प्राधिकारी से नियत सात दिन के भीतर पुष्टिकरण प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे अपरोधन समाप्त हो जाएंगे और वे संदेश या संदेशों के वर्ग को यथास्थिति संघ के गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव के पूर्व अनुमोदन के बिना अपरोधित नहीं किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश में ऐसे निदेश के लिए कारण अंतर्विष्ट होंगे और ऐसे आदेश की प्रति सात कार्य दिवस की अवधि के भीतर संबद्ध पुनर्विलोकन समिति को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) उप-नियम (1) के अधीन निदेश जारी करते समय अधिकारी अन्य साधनों द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की संभावना पर विचार करेगा और उप-नियम (1) के अधीन निदेश तभी जारी किए जाएंगे जब किसी अन्य युक्तियुक्त साधनों द्वारा जानकारी प्राप्त करना संभव न हो ।

(4) निदेशित अपरोधन किसी संदेश या संदेशों के वर्ग का वह अपरोधन होगा जो किसी विशिष्ट विषय से संबंधित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को भेजे जाते हैं चाहे वे ऐसे संदेश या संदेशों के वर्ग आदेश में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक पतों पर प्राप्त होता है, जो ऐसा पता या पते हैं, जिनका आदेश विनिर्दिष्ट या वर्णित विशिष्ट व्यक्ति से या को या आदेश में विनिर्दिष्ट या वर्णित परिसरों के एक विशिष्ठ सैट पर पारेषण या संचार करने के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है ।

(5) निदेश, उन अधिकारी या प्राधिकारी के नाम और पदनाम को विनिर्दिष्ट करेंगे जिनको अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग को प्रकट किया जाना है और यह भी विनिर्दिष्ट करेंगे कि उपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग का उपयोग उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन होगा ।

(6) अपरोधन के लिए निदेश तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक जारी होने की तारीख से साठ दिन से अनधिक की अवधि के पूर्व प्रतिसंहत नहीं हो जाते, किन्तु वे 180 दिन की कुल अवधि से परे प्रवृत्त नहीं रहेंगे ।

(7) उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी अपरोधन संबंधी निदेशों को कम-से-कम पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा लिखित अथवा सुरक्षित इलैक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी सेवा प्रदाता/सेवा प्रदाताओं के मनोनीत अधिकारियों अथवा तार प्राधिकरण के मनोनीत अधिकारियों को समप्रेषित किया जाएगा और इलैक्ट्रॉनिक संचार तथा इसका कार्यान्वयन तार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगा ।

(8) किसी संदेश या संदेशों के वर्ग का अपरोधन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी उसमें उल्लिखित, अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग, व्यक्तियों की विशिष्टियां जिनके संदेश को अपरोधित किया गया है, अधिकारी या प्राधिकारी का नाम या अन्य विशिष्टियां जिनको अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग को प्रकट किया गया है, अपरोधित किए गए संदेश या संदेशों की प्रतियों की संख्या और रीति या पद्धति जिसमें ऐसी प्रतियां तैयार की जाती हैं, प्रतियों के नष्ट होने की तारीख और वह अवधि जिसके भीतर निदेश प्रवृत्त बना रहेगा, उचित अभिलेख का अनुरक्षण करेंगे ।

(9) सभी मांग करने वाले सुरक्षा और विधि-प्रवर्तन अभिकरण, तार प्राधिकरण के मनोनीत अधिकारियों और संबंधित सेवा प्रदाताओं, जैसा भी मामला हो के अपरोधन हेतु अपनी मांगे भेजने और उनका प्रमाणिकरण करने के प्रयोजनार्थ कम-से कम पुलिस अधीक्षक स्तर अथवा इसके समकक्ष स्तर के अधिकारियों में से एक या एक से अधिक अधिकारियों को मनोनीत करेंगे और अपरोधन से संबंधित लिखित मांग को सौंपने संबंधी कार्य कम-से-कम उप पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।

(10) तार प्राधिकरण, अपरोधन संबंधी ऐसी मांगों को प्राप्त करने और उनका निपटान करने के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में प्रत्येक अनुज्ञप्ति सेवा क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे अधिकारी को मनोनीत करेगा और सेवा प्रदाता अपरोधन संबंधी ऐसी मांगों को प्राप्त करने और उनका निपटान करने के लिए नोडल अधिकारियों के रूप में प्रत्येक अनुज्ञप्ति सेवा क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों को मनोनीत करेंगे ।

(11) तार प्राधिकरण अथवा सेवा प्रदाताओं के अभिहित नोडल अधिकारी, अपरोधन संबंधी सूचना प्राप्त होने पर दो घंटे के अंदर इस प्रकार की सुरक्षा की मांग करने वाले एवं कानून प्रवर्तन अधिकरण को पावती जारी करेंगे ।

(12) अपरोधन के लिए अध्यपेक्षा की संसूचना देने और प्राप्त करने के लिए अभिहित नोडल अधिकारी की प्रणाली का आपात मामलों/अपरिहार्य मामलों में भी अनुसरण किया जाएगा, जहां सक्षम प्राधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है ।

(13) सेवा प्रदाताओं के 'अभिहित नोडल अधिकारी या अनुज्ञप्तिदाता, जैसा भी मामला हो, ऐसे अधिप्रमाणन की अधिप्रमाणिकता की पुष्टि के लिए सुरक्षा और विधि प्रवर्तन अभिकरण के नोडल अधिकारियों को पूर्ववर्ती पखवाड़े के दौरान उनके द्वारा

प्राप्त अपरोधन अधिप्रमाणन की सूची प्रत्येक पंद्रह दिन में अग्रेषित करेंगे और सूची में संघ के गृह सचिव या राज्य के गृह सचिव के आदेशों का सन्दर्भ एवं तारीख या उप-नियम (1) के निबंधनों में, सक्षम प्राधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के उद्गामी मामलों में जिसे तदुपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया गया था, ऐसे आदेशों की प्राप्ति का समय तथा ऐसे आदेशों के क्रियान्वयन की तारीख और समय के ब्यौरे संदर्भ के रूप में सम्मिलित होंगे ।

(14) सेवा प्रदाता इस बात की पर्याप्त और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करेगा जिससे संदेशों का अप्राधिकृत अपरोधन न हो और उनकी अत्यधिक गोपनीयता बरकरार रहे तथा संदेश के अपरोधन की मामले में अत्यधिक सावधानी और पूर्वावधानी बरती जाए क्योंकि इससे नागरिकों की निजता प्रभावित होती है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के केवल अभिहित नोडल अधिकारी इस कार्य को करे ।

(15) सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होंगे और सूचना की गोपनीयता एवं विश्वस्तता कायम रखने और संचार के अप्राधिकृत अपरोधन के संबंध में अनुज्ञप्ति के शर्तों का अल्लंघन सिद्ध होने पर सेवाप्रदाताओं के विरुद्ध उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और इसमें केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि उनके अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण अथवा निलंबन भी शामिल होगा ।

(16) यथास्थिति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार एक पुनर्विलोकन समिति का गठन करेगी ।

(i) पुनर्विलोकन समिति केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

(क)	मंत्रिमंडल सचिव	– अध्यक्ष
(ख)	सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य के भार साधक	– सदस्य
(ग)	सचिव, भारत सरकार, दूरसंचार विभाग	– सदस्य

(ii) राज्य सरकार द्वारा गठित पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्—

(क)	मुख्य सचिव	– अध्यक्ष
(ख)	सचिव, विधि/विधि परामर्शी विधि कार्य के भार साधक	– सदस्य
(ग)	सचिव, राज्य सरकार, (गृह सचिव से भिन्न)	– सदस्य

(17) पुनर्विलोकन समिति की बैठक दो मास में कम से कम एक बार होगी और उसके परिणामों को अभिलिखित करेगी कि उप-धारा (1) के अधीन जारी निदेश उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार है या नहीं और यदि पुनर्विलोकन समिति का विचार है कि निदेश ऊपर निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं है तो, यह समिति निदेशों को अपास्त कर सकेगी और अपरोधित संदेश या संदेशों के वर्ग की प्रतियों को नष्ट करने के लिए आदेश दे सकेगी ।

(18) अपरोधन के लिए ऐसे निदेशों से संबंधित अभिलेखों और अपरोधित संदेशों को सुसंगत सक्षम प्राधिकारी और प्राधिकृत सुरक्षा तथा विधि प्रवर्तन अभिकरण द्वारा प्रत्येक छह मास पर नष्ट किया जाएगा, जब तक कि ये कृत्यिक अपेक्षाओं के लिए अपेक्षित या इनका होना अपेक्षित संभावित न हो ।

(19) सेवा प्रदाता और तार प्राधिकारी ऐसे संदेशों के अपरोधन की निरंतरता की समाप्ति के दो मास के भीतर संदेशों के अपरोधन के लिए निदेशों से संबंधित अभिलेखों को नष्ट करेंगे और ऐसा करते समय यह अत्यधिक गोपनीयता बनाए रखेंगे ।"

[फा. सं. 4-19/2009-पीएचपी]

शिव शंकर सिंह, उप महानिदेशक (जन शिकायत) और पदेन संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम डाक एवं तार मैनुअल वालयूम I, विधायी अधिनियमितियां भाग II, संस्करण में प्रकाशित किए गए थे, पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए हैं :

1. सा.का.नि. 190(अ), दिनांक 18.2.1984
2. सा.का.नि. 386(अ), दिनांक 22.5.1984
3. सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 22.5.1984
4. सा.का.नि. 679, दिनांक 30.6.1984
5. सा.का.नि. 428, दिनांक 27.4.1985
6. सा.का.नि. 729, दिनांक 3.8.1985
7. सा.का.नि. 982, दिनांक 19.10.1986
8. सा.का.नि. 553(अ), दिनांक 27.3.1986
9. सा.का.नि. 314, दिनांक 26.4.1986
10. सा.का.नि. 566, दिनांक 26.7.1986
11. सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 23.7.1986
12. सा.का.नि. 1121(अ), दिनांक 1.10.1986
13. सा.का.नि. 1167(अ), दिनांक 28.10.1986
14. सा.का.नि. 1237(अ), दिनांक 28.11.1986
15. सा.का.नि. 49, दिनांक 17.1.1987
16. सा.का.नि. 112(अ), दिनांक 25.2.1987
17. सा.का.नि. 377(अ), दिनांक 9.4.1987

18. सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 27.7.1987
19. सा.का.नि. 719(अ), दिनांक 18.8.1987
20. सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 5.10.1987
21. सा.का.नि. 989(अ), दिनांक 17.12.1987
22. सा.का.नि. 337(अ), दिनांक 11.3.1988
23. सा.का.नि. 361(अ), दिनांक 11.3.1988
24. सा.का.नि. 626(अ), दिनांक 17.5.1988
25. सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 31.5.1988
26. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 10.6.1988
27. सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 24.6.1988
28. सा.का.नि. 606(अ), दिनांक 14.7.1988
29. सा.का.नि. 812(अ), दिनांक 26.7.1988
30. सा.का.नि. 888(अ), दिनांक 1.9.1988
31. सा.का.नि. 907(अ), दिनांक 7.9.1988
32. सा.का.नि. 916(अ), दिनांक 9.9.1988
33. सा.का.नि. 1054(अ), दिनांक 2.11.1988
34. सा.का.नि. 179, दिनांक 18.3.1989
35. सा.का.नि. 358(अ), दिनांक 15.3.1989
36. सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 15.6.1989
37. सा.का.नि. 865(अ), दिनांक 29.9.1989
38. सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 29.3.1990
39. सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 15.6.1990
40. सा.का.नि. 933(अ), दिनांक 3.12.1990
41. सा.का.नि. 985(अ), दिनांक 20.12.1990
42. सा.का.नि. 74(अ), दिनांक 18.1.1991
43. सा.का.नि. 237(अ), दिनांक 25.4.1991
44. सा.का.नि. 251(अ), दिनांक 2.5.1991
45. सा.का.नि. 543(अ), दिनांक 21.5.1992
46. सा.का.नि. 560(अ), दिनांक 26.5.1992
47. सा.का.नि. 587(अ), दिनांक 10.6.1992
48. सा.का.नि. 730(अ), दिनांक 19.8.1992
49. सा.का.नि. 830(अ), दिनांक 28.10.1992
50. सा.का.नि. 62(अ), दिनांक 11.2.1993
51. सा.का.नि. 80, दिनांक 6.2.1993
52. सा.का.नि. 384(अ), दिनांक 27.4.1993
53. सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 28.4.1993
54. सा.का.नि. 220(अ), दिनांक 26.3.2004
55. सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 17.11.2006
56. सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 1.3.2007
57. सा.का.नि. 547(अ), दिनांक 18.7.2008
58. सा.का.नि. 49(अ), दिनांक 27.1.2010
59. सा.का.नि. 279(अ), दिनांक 31.3.2010
60. सा.का.नि. 256(अ), दिनांक 27.3.2012
61. सा.का.नि. 412(अ), दिनांक 29.5.2012
62. सा.का.नि. 368(अ), दिनांक 7.6.2012
63. सा.का.नि. 506(अ), दिनांक 24.7.2012

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 28th January, 2014

G.S.R. 18.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (1st Amendment of 2014) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, for rule 419A, the following rule shall be substituted, namely :—

"**419A**. (1) Directions for interception of any message or class of messages under sub-section (2) of section 5 of the Indian Telegraph Act, 1885 (hereinafter referred to as the said Act) shall not be issued except by an order made by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs in the case of Government of India and by the Secretary to the State Government in-charge of the Home Department in the case of a State Government and in unavoidable circumstances, such order may be made by an officer, not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India, who has been duly authorised by the Union Home Secretary or the State Home Secretary, as the case may be:

Provided that in emergent cases —

(i) in remote areas, where obtaining of prior directions for interception of messages or class of messages is not feasible; or

(ii) for operational reasons, where obtaining of prior directions for interception of messages or class of messages is not feasible,

the required interception of any message or class of messages shall be carried out with the prior approval of the Head or the second senior most officer of the authorised Security and Law Enforcement Agency at the Central Level and the officers authorised in this behalf, not below the rank of Inspector General of Police, at the

State level but the concerned competent authority shall be informed of such interceptions by the approving authority within three working days and that such interceptions shall be got confirmed by the concerned competent authority within a period of seven working days and if the confirmation from the competent authority is not received within the stipulated seven days, such interception shall cease and the same message or class of messages shall not be intercepted thereafter without the prior approval of the Union Home Secretary or the State Home Secretary, as the case may be.

(2) Any order issued by the competent authority under sub-rule (1) shall contain reasons for such direction and a copy of such order shall be forwarded to the concerned Review Committee within a period of seven working days.

(3) While issuing directions under sub-rule (1), the officer shall consider possibility of acquiring the necessary information by other means and the directions under sub-rule (1) shall be issued only when it is not possible to acquire the information by any other reasonable means.

(4) The interception directed shall be the interception of any message or class of messages as are sent to or from any person or class of persons or relating to any particular subject whether such message or class of messages are received with one or more addresses, specified in the order, being an address or addresses likely to be used for the transmission of communications from or to one particular person specified or described in the order or one particular set of premises specified or described in the order.

(5) The directions shall specify the name and designation of the officer or the authority to whom the intercepted message or class of messages is to be disclosed and also specify that the use of intercepted message or class of messages shall be subject to the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said Act.

(6) The directions for interception shall remain in force, unless revoked earlier, for a period not exceeding sixty days from the date of issue and may be renewed but the same shall not remain in force beyond a total period of one hundred and eighty days.

(7) The directions for interception issued under sub-rule (1) shall be conveyed to designated officers of the telegraph authority or to the designated officers of the service provider(s) who have been granted licences under section 4 of the said Act, in writing or by secure electronic communication by an officer not below the rank of Superintendent of Police or the officer of the equivalent rank and mode of secure electronic communication and its implementation shall be as determined by the telegraph authority.

358 GI/14-2

(8) The officer authorised to intercept any message or class of messages shall maintain proper records mentioning therein, the intercepted message or class of messages, the particulars of persons whose message has been intercepted, the name and other particulars of the officer or the authority to whom the intercepted message or class of messages has been disclosed, the number of copies of the intercepted message or class of messages made and the mode or the method by which such copies are made, the date of destruction of the copies and the duration within which the directions remain in force.

(9) All the requisitioning Security and Law Enforcement Agencies shall designate one or more nodal officers not below the rank of Superintendent of Police or the officer of the equivalent rank to authenticate and send the requisitions for interception to the designated officers of the telegraph authority or the concerned service providers, as the case may be and the delivery of written requisition for interception shall be done by an officer not below the rank of Sub-Inspector of Police.

(10) The telegraph authority shall designate officer(s) in every licensed service area / State / Union territory as the nodal officers to receive and handle such requisitions for interception and the service providers shall designate two senior officer(s) of the company in every licensed service area / State / Union territory as the nodal officers to receive and handle such requisitions for interception.

(11) The designated nodal officer(s) of the telegraph authority or the service providers shall issue acknowledgment to the requisitioning Security and Law Enforcement Agency within two hours on receipt of intimations for interception.

(12) The system of designated nodal officers for communicating and receiving the requisitions for interceptions shall also be followed in emergent cases / unavoidable cases where prior approval of the competent authority has not been obtained.

(13) The designated nodal officer(s) of the telegraph authority or the service providers shall forward every fifteen days a list of interception authorisations received by them during the preceding fortnight to the nodal officers of the Security and Law Enforcement Agencies for confirmation of the authenticity of such authorisations and the list shall include details such as the reference and date of orders of the Union Home Secretary or State Home Secretary or orders issued by officer other than competent authority, in terms of sub-rule (1) in emergent cases which were not subsequently confirmed by the competent authority, date and time of receipt of such orders and the date and time of implementation of such orders.

(14) The service providers shall put in place adequate and effective internal checks to ensure that unauthorised interception of messages does not take place and extreme secrecy is maintained and utmost care and precaution is taken in the matter of interception of messages as it affects privacy of citizens and also that this matter is handled only by the designated nodal officers of the company.

(15) The service providers shall be responsible for actions of their employees also and in case of established violation of licence conditions pertaining to maintenance of secrecy and confidentiality of information and unauthorised interception of communication, action shall be taken against the service providers as per provisions of the said Act, and this shall include not only fine but also suspension or revocation of their licences.

(16) The Central Government and the State Government, as the case may be, shall constitute a Review Committee.

(i) The Review Committee to be constituted by the Central Government shall consist of the following, namely:-

(a) Cabinet Secretary —Chairman;

(b) Secretary to the Government of India Incharge, Legal Affairs —Member;

(c) Secretary to the Government, Department of Telecommunications —Member.

(ii) The Review Committee to be constituted by a State Government shall consist of the following, namely:-

(a) Chief Secretary —Chairman;

(b) Secretary Law/Legal Remembrancer Incharge, Legal Affairs —Member;

(c) Secretary to the State Government (other than the Home Secretary) —Member.

(17) The Review Committee shall meet at least once in two months and record its findings whether the directions issued under sub-rule (1) are in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said Act and when the Review Committee is of the opinion that the directions are not in accordance with the provisions referred to above, it may set aside the directions and orders for destruction of the copies of the intercepted message or class of messages.

(18) Records pertaining to such directions for interception and of intercepted messages shall be destroyed by the relevant competent authority and the authorised Security and Law Enforcement Agencies every six months unless these are, or likely to be, required for functional requirements.

(19) The service providers and telegraph authority shall destroy records pertaining to directions for interception of messages within two months of discontinuance of the interception of such messages and in doing so they shall maintain extreme secrecy".

[F. No. 4-19/2009-PHP]

S. S. SINGH, Dy. Director General (PG)
Cum-Ex-Officio Jt. Secy.

NOTE: The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended vide notification numbers—

1. G.S.R. 190, dated 18-2-1984
2. G.S.R. 386, dated 22-5-1984
3. G.S.R. 387(E), dated 22-5-1984
4. G.S.R. 679, dated 30-6-1984
5. G.S.R. 428, dated 27-4-1985
6. G.S.R. 729, dated 3-8-1985
7. G.S.R. 982, dated 19-10-1986
8. G.S.R. 553(E), dated 27-03-1986
9. G.S.R. 314, dated 26-4-1986
10. G.S.R. 566, dated 26-7-1986
11. G.S.R. 953(E), dated 23-7-1986
12. G.S.R. 1121(E), dated 1-10-1986
13. G.S.R. 1167(E), dated 28-10-1986
14. G.S.R. 1237(E), dated 28-11-1986
15. G.S.R. 49, dated 17-1-1987
16. G.S.R. 112(E), dated 25-2-1987
17. G.S.R. 377(E), dated 9-4-1987
18. G.S.R. 674(E), dated 27-7-1987
19. G.S.R. 719(E), dated 18-8-1987
20. G.S.R. 837(E), dated 5-10-1987
21. G.S.R. 989(E), dated 17-12-1987
22. G.S.R. 337(E), dated 11-3-1988
23. G.S.R. 361(E), dated 21-3-1988
24. G.S.R. 626(E), dated 17-5-1988
25. G.S.R. 660(E), dated 31-5-1988
26. G.S.R. 693(E), dated 10-6-1988
27. G.S.R. 734(E), dated 24-6-1988
28. G.S.R. 606, dated 14-7-1988
29. G.S.R. 812(E), dated 26-7-1988
30. G.S.R. 888(E), dated 1-9-1988
31. G.S.R. 907(E), dated 7-9-1988

32. G.S.R. 916(E), dated 9-9-1988
33. G.S.R. 1054, dated 2-11-1988
34. G.S.R. 179, dated 18-3-1989
35. G.S.R. 358(E), dated 15-3-1989
36. G.S.R. 622(E), dated 15-6-1989
37. G.S.R. 865(E), dated 29-9-1989
38. G.S.R. 413(E), dated 29-3-1990
39. G.S.R. 574(E), dated 15-6-1990
40. G.S.R. 933(E), dated 3-12-1990
41. G.S.R. 985(E), dated 20-12-1990
42. G.S.R. 74(E), dated 18-1-1991
43. G.S.R. 237(E), dated 25-4-1991
44. G.S.R. 251(E), dated 2-5-1991
45. G.S.R. 543(E), dated 21-5-1992
46. G.S.R. 560(E), dated 26-5-1992
47. G.S.R. 587(E), dated 10-6-1992
48. G.S.R. 730(E), dated 19-8-1992
49. G.S.R. 830(E), dated 28-10-1992
50. G.S.R. 62(E), dated 11-2-1993
51. G.S.R. 80, dated 6-2-1993
52. G.S.R. 384(E), dated 27-4-1993
53. G.S.R. 387(E), dated 28-4-1993
54. G.S.R. 220(E), dated 26-3-2004
55. G.S.R. 713(E), dated 17-11-2006
56. G.S.R. 193(E), dated 01-03-2007
57. G.S.R. 547(E), dated 18-07-2008
58. G.S.R. 49(E), dated 27-01-2010
59. G.S.R. 279(E), dated 31-03-2010
60. G.S.R. 256(E), dated 27-03-2012
61. G.S.R. 412(E), dated 29-05-2012
62. G.S.R. 368(E), dated 07-06-2013
63. G.S.R. 506(E), dated 24-07-2013

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ग्रामीण विकास विभाग, पुस्तकालय लिपिक भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण विकास विभाग में पुस्तकालय लिपिक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रामीण विकास विभाग, पुस्तकालय लिपिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ये लागू होता.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।